न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 44 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 292

उनवान

1. माधुलाल पिता हजारी कुम्हार निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नि सूरजमल प्रजापत निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता भैरा तेली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता आसु जाट निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम पंचायत बोरियापुरा जरिए सरंपच / सचिव ग्राम पंचायत बोरियापुरा तहसील रायपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश चन्द्र टेलर – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
3. विपक्षी संख्या 1 व 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 7/4/2026

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	171	1152 / 30	0.32
	कुल किता कुल रकबा	1	0.32

प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत 2076 से 2079 की पेश की है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने दिनांक 25.08.2025 को अन्तिम बार विपक्षीगण को कहा लेकिन इन्कार हो गए जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 3, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 24.03.02026 को अमल में लाई गई तथा विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की राजस्व खाता संख्या 171 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त राजस्व खाता संख्या 171 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	171	1152/30	0.32
	कुल किता कुल रकबा	1	0.32

उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 7/4/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 44 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 292

उनवान

1. माधुलाल पिता हजारी कुम्हार निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नि सुरजमल प्रजापत निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता भैरा तेली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता आसु जाट निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम पंचायत बोरियापुरा जरिए सरंपच / सचिव ग्राम पंचायत बोरियापुरा तहसील रायपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :–<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

दिनांकः– 7/4/2026

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 7/4/26 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	171	1152 / 30	0.32
	कुल किता कुल रकबा	1	0.32

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000 / –रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्क्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 7/4/26 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी

रायपुर, भीलवाड़ा